PTCUL

# पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

## मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

दिनांक : 20 .04.2020

पत्रांक: 371 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–8

विषयः उत्तराखण्ड जनरल–ओ0बी0सी0 इम्प्लाईज एसोसिएशन द्वारा किये गये आन्दोलन की अवधि के वेतन का समायोजन सम्बन्धित कार्मिकों के उपार्जित अवकाश में किये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल.................................................।

कृपया उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 96/XXX(2)/2020-04 का0–2/13 दिनांक 18.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड जनरल–ओ0बी0सी0 इम्प्लाईज एसोसिएशन द्वारा किये गये आन्दोलन की अवधि के वेतन का समायोजन सम्बन्धित कार्मिकों के उपार्जित अवकाश में किये जाने हेतु निम्नवत् निर्देश प्रदान किये गये है :–

"उत्तराखण्ड जनरल–ओ0बी0सी0 इम्प्लाईज एसोसिएशन द्वारा आन्दोलन की अवधि दिनांक 02.03.2020 से 18.03.2020 तक कार्य बहिष्कार/अनिश्चितकालीन हडताल/आन्दोलन में प्रतिभाग किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 02.03.2020 के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कार्य बहिष्कार/अनिश्चितकालीन हडताल/आन्दोलन में प्रतिभाग करने वाले कार्मिकों को कार्य बहिष्कार/अनिश्चितकालीन हडताल/आन्दोलन की अवधि का वेतन उसी स्थिति में आहरित किया जाय, जबकि कार्य बहिष्कार/अनिश्चितकालीन हडताल/आन्दोलन पर रहने वाले कार्मिक का इसके एवज में उपार्जित अवकाश स्वीकृत कर लिया जाय। यदि किसी कार्मिक के उपार्जित अवकाश लेखे में पर्याप्त उपार्जित अवकाश संचित न हो तो ऐसे मामले में सम्बन्धित कार्मिक के भविष्य में अर्जित होने वाले उपार्जित अवकाश के सापेक्ष उपार्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए समायोजित किया जायेगा। "

अतः मुझे आपको उपरोक्त शासनादेश की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए यह अवगत करवाने का निर्देश हुआ है कि कृपया उत्तराखण्ड जनरल–ओ0बी0सी0 इम्प्लाईज एसोसिएशन द्वारा दिनांक 02.03.2020 से 18.03.2020 के मध्य किये गये आन्दोलन में आपके नियंत्रणाधीन पिटकुल में कार्यरत जिन कार्मिकों द्वारा उक्त कार्य बहिष्कार/अनिश्चितकालीन हडताल/आन्दोलन में प्रतिभाग किया गया हो तो उपरोक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार उनकी हडताल अवधि को उनके उपार्जित अवकाश में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 371 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–8, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सहायक/डी0ई0ओ0–निदेशक (वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना)/(मा0सं0), पिटकुल, को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयगत पत्र को कारपोरेशन की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित पत्रावली/कट फाईल।

(ए0के0 जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)



Scanned with CamScanner

संख्याः 96 /XXX(2)/2020-04का0–2/13

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल–पौड़ी/नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. प्रबन्ध निदेशक, समस्त निगम/संस्थान, उत्तराखण्ड।

**कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2** **देहरादूनः दिनांक 18 मार्च, 2020**

**विषयः उत्तराखण्ड जनरल–ओ0बी0सी0 इम्प्लाईज एसोसिएशन द्वारा किये गये आन्दोलन की अवधि के वेतन का समायोजन सम्बन्धित कार्मिकों के उपार्जित अवकाश में किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 92/XXX(2)/2020-04 का0-2/13 दिनांक 02 मार्च, 2020 द्वारा राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों/शिक्षकों द्वारा हड़ताल/कार्य बहिष्कार के सम्बन्ध में **'कार्य नहीं तो वेतन नहीं'** सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये हैं तथा उक्त संदर्भित शासनादेश में शासनादेश संख्या 45/XXX(2)/2019.04का0–2/13 दिनांक 29 जनवरी, 2019 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2– उत्तराखण्ड जनरल–ओ0बी0सी0 इम्प्लाईज एसोसिएशन द्वारा आन्दोलन की अवधि दिनांक 02.03.2020 से 18.03.2020 तक कार्य बहिष्कार/अनिश्चितकालीन हड़ताल/आन्दोलन में प्रतिभाग किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 02.03.2020 के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कार्य बहिष्कार/अनिश्चितकालीन हड़ताल/आन्दोलन में प्रतिभाग करने वाले कार्मिकों को कार्य बहिष्कार/अनिश्चितकालीन हड़ताल/आन्दोलन की अवधि का वेतन उसी स्थिति में आहरित किया जाय, जबकि कार्य बहिष्कार/अनिश्चितकालीन हड़ताल/आन्दोलन पर रहने वाले कार्मिक का इसके एवज में उपार्जित अवकाश स्वीकृत कर लिया जाय। यदि किसी कार्मिक के उपार्जित अवकाश लेखे में पर्याप्त उपार्जित अवकाश संचित न हो तो ऐसे मामले

में सम्बन्धित कार्मिक के भविष्य में अर्जित होने वाले उपार्जित अवकाश के सापेक्ष उपार्जित आवकाश स्वीकृत करते हुए समायोजित किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कार्य बहिष्कार/अनिश्चितकालीन हडताल/आन्दोलन में प्रतिभाग अवधि के वेतन भुगतान की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः (1)/XXX(2)/2020/04का0-2/13 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. अध्यक्ष/महासचिव, उत्तराखण्ड जनरल-ओ0बी0सी0 इम्प्लाईज एसोसिएशन।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।